406

संख्या–162 /VI-2/2016–51(17)14

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रारद निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुदान संख्या–11 के आयोजनेत्तर पक्ष में पुर्नविनियोग के माध्यम से बजट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1973/दो–लेखा–2883/2015–16 दिनांक 25.02.16 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल **₹ 25,00,000/– (₹ पच्चीस लाख)** मात्र की धनराशि संलग्न बी0एम0–09 के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–08 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7— जिस प्रयोजन से धनराशि का पुनर्विनियोग किया गया है, भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिला योजना अथवा अन्य किसी श्रोत से पूर्व में इन स्वयंसेवकों को इसका भुगतान न हुआ हो।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक में **अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक—2204 की सुसंगत मानक मद में सुसंगत मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष** में संलग्न बी0एम0—09 के कॉलम—3 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—83(NP)/XXVII(3)/2015—16 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 162 /VI-2/2016—51(17)14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— निजी सचिव, युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5— वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
6— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनुसचिव।